रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2002.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 26 अगस्त, 2002/4 भाद्रपद, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

चम्बा-176310, 8 अगस्त, 2002

क्रमांक पंच-चम्बा-ए० (16)-10-2002-II-1589-97.—जैसे कि खण्ड विकास अधिकारी, मैहला के पत्र संख्या 1446, दिनांक 9-7-2002 द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट से पाया गया कि श्रीमती इन्द्रा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत गुराड, विकास खण्ड मैहला के दिनांक 29-5-2002 को एक अतिरिक्त सन्तान उत्पन्न हुई है, जिसका इन्द्राज नगर परिषद् चम्बा के पंजीकरण संख्या 457, दिनांक 25-6-2002 के अन्तर्गत दर्ज है और ग्राम पंचायत गुराड के परिवार रजिस्टर की नकल के अनुसार श्रीमती इन्द्रा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत गुराड के दिनांक 29-5-2002 को उत्पन्न अतिरिक्त सन्तान से पूर्व तीन जीवित सन्तानें है और दिनांक 29-5-2002 को उत्पन्न हुई उसकी अतिरिक्त सन्तान चौथी सन्तान है ।

इस प्रकार श्रीमती इन्द्रा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत गुराड की यह अतिरिक्त सन्तान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्या 18) के अन्तर्गत मूल अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122 की उप-धारा (1) के खण्ड 'ण' के प्रावधान लागू होने के दिनांक 8-6-2001 के उपरान्त उत्पन्न हुई है, जिसके फलस्वरूप वह प्रधान पद पर पदासीन होने के अयोग्य हो चुकी है । इस सम्बन्धमें इस कार्यालय के आदेश संख्या पंच-चम्बा-ए० (16)-10-701-2002-II, पृष्ठांकन संख्या 1545-47, दिनांक 18-7-2002 द्वारा श्रीमती इन्द्रा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत गुराड को अपना पक्ष स्पष्ट करने का मौका दिया

गया था, परन्तु निर्धारित समयावधि के भीतर उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा यह अपनी अयोग्यता स्वीकार करती है ।

अतः मैं, राहुल आनन्द (भा0 प्र0 से0), हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (क) तथा 131 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती इन्द्रा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत गुराड, खण्ड विकास मैहला, जिला चम्बा का प्रधान पद पर पदासीन रहना समाप्त करता हूं तथा ग्राम पंचायत गुराड, विकास खण्ड मैहला का प्रधान पद रिक्त घोषित करते हुए उन्हें आदेश देता हूं कि यदि उनके पास ग्राम पंचायत गुराड का कोई अभिलेख, धन या चल-अचल सम्पत्ति हो तो उसे तुरन्त ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी को सौंप दें ।

राहुल आनन्द (भा0 प्र0 से0),
उपायुक्त,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ।

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन, 6 अगस्त, 2002

क्रमांक पी0सी0एन0-एस0 एम0 आर0 (8) 24/2002-2817-23.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम पंचायत, दुगाना के उप-प्रधान, श्री खरारी राम का दिनांक 27-5-2002 को एक लम्बी बीमारी के उपरान्त देहान्त हो गया है, जिसकी पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत, दुगाना का प्रस्ताव संख्या 5, दिनांक 10-6-2002 की नकल तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र, दिनांक 12-6-2002 भी प्रस्तुत किये गये हैं ।

अतः मैं, ओंकार शर्मा (भा0प्र0 से0), उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वर्गीय श्री खरारी राम (उपरोक्त) के निधन हो जाने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत, दुगाना के उप-प्रधान पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

नाहन, 6 अगस्त, 2002

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0 (8) 24/2002-2824-31.—यह कि पंचायत समिति, पांवटा साहिब के वार्ड नं0 18-गोरखूवाला, के सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ण) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के उपरान्त उसके यहां दिनांक 14-3-2002 को एक पांचवे शिशु का जन्म हो जाने के फलस्वरूप स्वयं उपस्थित हो कर अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं, ओंकार शर्मा, (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त पंचायत समिति सदस्य, श्री राजेन्द्र सिंह का त्याग-पत्र स्वीकार करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत समिति, पांवटा साहिब के वार्ड नं0 18-गोरखूवाला के सदस्य पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

ओंकार शर्मा,
उपायुक्त,
जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0) ।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), शिमला,
जिला शिमला, (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

शिमला, 9 अगस्त, 2002

संख्या पी0सी0एच0-एस0एम0एल0 (उप0 नि0) 2001-2-274-77.—यह कि जिला शिमला के विकास खण्ड चौपाल की ग्राम पंचायत खद्दर के उप-प्रधान जो सामान्य निर्वाचन 2000 में निर्वाचित घोषित हुये थे ने अपने पद से प्रधान, ग्राम पंचायत खद्दर के लिए चुने जाने के कारण त्याग-पत्र दे दिया है। जिसे खण्ड विकास अधिकारी चौपाल के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा गया है। खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल ने इस त्याग-पत्र को स्वीकृत करने की सिफारिश की है।

अतः मैं, सत्य पाल, जिला पंचायत अधिकारी शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 123(1) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त पदाधिकारी के त्याग-पत्र को स्वीकृत करता हूं।

शिमला, 9 अगस्त, 2002

संख्या पी0सी0एच0-एस0एम0एल0 (उप0 नि0) 2001-2-278-81.—यह कि जिला शिमला के विकास खण्ड ठियोग की ग्राम पंचायत क्यार के सदस्य क्यार वार्ड नं0 5 जई, जो सामान्य निर्वाचन 2000 में निर्वाचित घोषित हुए थे ने अपने पद से सरकारी नौकरी में नियुक्ति के कारण त्याग-पत्र दे दिया है। जिसे खण्ड विकास अधिकारी, ठियोग के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा गया है। खण्ड विकास अधिकारी, ठियोग ने इस त्याग-पत्र को स्वीकृत करने की सिफारिश की है।

अतः मैं, सत्य पाल, जिला पंचायत अधिकारी शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 130(1) तथा पंचायती राज (सामान्य) नियम के नियम 135 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त पदाधिकारी के त्याग-पत्र को स्वीकृत करता हूं।

सत्य पाल,
जिला पंचायत अधिकारी शिमला,
जिला शिमला।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित